प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

क्रिमीनल अपील क्रमांक 359/2021

वसीम भाठी पुत्र स्व. नजीरुद्दीन उम्र लगभग 31 वर्ष,

निवासी-बंगलापारा तुमगांव, थाना तुमगांव,

जिला महासमुंद (छ.ग.) ----------अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा

पुलिस थाना तुमगांव, जिला महासमुंद(छ.ग.) ----------उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रिमीनल अपील क्रमांक 590 of 2021

1– देवनाथ उर्फ फुरू साहू पिता सुखराम साहू उम्र लगभग 35 वर्ष,

2– सोनल पाल उर्फ उत्कर्ष पिता जीतेन्द्र पाल उम्र लगभग 25 वर्ष

दोनों निवासी बंगलापारा, तुमगांव, थाना तुमगांव

जिला महासमुंद (छ.ग.) ----------अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा

पुलिस थाना तुमगांव, जिला महासमुंद (छ.ग.) ----------उत्तरवादी

क्रिमीनल अपील क्रमांक 697 of 2021

जीवनलाल टंडन पिता राजकुमार उम्र लगभग 22 वर्ष,

निवासी-वार्ड क्रमांक 1, तुमगांव, पुलिस स्टेशन तुमगांव,

जिला महासमुंद (छ.ग.) --------अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा

पुलिस थाना तुमगांव, जिला महासमुंद (छ.ग.)--------उत्तरवादी

क्रिमीनल अपील क्रमांक 818 of 2021

पार्वती पोयम पत्नी जीलाल पोयम उम्र लगभग 35 वर्ष,

निवासी ग्राम–किलेपाल, पुलिस स्टेशन–कोड़ेमार,

जिला–बस्तर (छ.ग.)

वर्तमान निवासी पटेलपारा, सुकमा (छ.ग.) --------अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा

पुलिस थाना तुमगांव, जिला महासमुंद (छ.ग.)--------उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता द्वारा श्री प्रगलभ शर्मा अधिवक्ता (दां.अ.क्रं. 359/2024)
अपीलकर्ता द्वारा श्री जे.के.सक्सेना अधिवक्ता (दां.अ.क्रं 590, 818/2024)
अपीलकर्ता द्वारा श्री भारत राजपूत अधिवक्ता (दां.अ.क्रं. 697/2024)
अभियोजन/राज्य द्वारा श्री आर.एस.मरहास, अतिरिक्त महाधिवक्ता ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री बिभु दत्त गुरू न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दिनांक 11/09/2024</u>

(1) उपरोक्त सभी दांडिक अपीलें विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट, 2012), महासमुंद द्वारा विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 09/2019 में दिनांक 19.02.2021 को घोषित प्रश्नाधीन निर्णय के विरुद्ध पेश किया गया है, अतः उन्हें एक साथ सुना जाकर इस निर्णय द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

(2) अपीलकर्ता-वसीम भाठी (ए1), देवनाथ उर्फ फुरू साहू (ए2), सोनल पाल (ए3), जीवनलाल टंडन (ए4) और पार्वती पोयम (ए5) के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत पृथक-पृथक आपराधिक अपीलें पेश किया गया, जिसमें विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), 2012, महासमुंद द्वारा विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 9/2019 में घोषित निर्णय दिनांक 19/02/2021 के प्रश्नाधीन निर्णय को चुनौती दिया गया है, जिसमें अपीलकर्ता-वसीम भाठी, देवनाथ उर्फ फुरू साहू, सोनल पाल और जीवनलाल टंडन को भारतीय दंड संहिता की धारा 363/34, 366/34 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग II/34 के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है । उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत क्रमशः तीन साल के लिए सश्रम कारावास एवं 1000/-रुपये, पांच साल के लिए कठोर कारावास एवं 1000/- रुपये तथा बीस साल के लिए कठोर कारावास एवं 25000/- रुपये तथा दो साल के लिए कठोर कारावास एवं 3000/- के जुर्माना से एवं व्यतिक्रम की दशा में क्रमशः 01 वर्ष, 03 माह, 03 माह एवं 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है । वहीं अपीलार्थी पार्वती पोयम को भारतीय दंड संहिता की धारा 363/34 एवं 366/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाकर क्रमशः 03 साल एवं 05 साल के लिए कठोर कारावास एवं 1000/- तथा 3000/- रुपये का जुर्माना एवं उसके व्यतिक्रम की दशा में क्रमशः 01 माह एवं 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है ।

(3) अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री के पिता ने थाना तुमगांव में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 24/04/2019 की शाम लगभग 6:00 बजे उसकी पुत्री/अभियोक्त्री दुकान जाने के लिए घर से निकली थी, किंतु घर वापस नहीं लौटी, तब आसपास पता किए जाने पर भी कुछ पता नहीं चला , उसे आशंका है कि अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग पुत्री अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है । प्रार्थी की उक्त शिकायत के आधार पर थाना तुमगांव में अपराध क्रमांक 86/2019 धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी-06 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना हेतु लिया गया । विवेचनाधिकारी द्वारा मौके पर जाकर प्र.पी-08, 09 एवं प्रदर्श पी-29 का मौका नक्शा तैयार किया गया। अभियोक्त्री के प्रगति पत्रक जिसमें जन्मतिथि 12/01/2004 दर्ज है, को जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-10 के अनुसार जप्त किया गया । पटवारी द्वारा घटनास्थल पर जाकर प्रदर्श पी-12 एवं प्रदर्श पी-12 ए का नजरी नक्शा तैयार किया गया । दौरान विवेचना दिनांक 27/04/2019 को अभियोक्त्री को बचेली से आरोपिया पार्वती पोयम के कब्जे से बरामद कर बरामदगी पंचनामा प्रदर्श पी-19 तैयार किया गया । अभियोक्त्री से प्रदर्श पी-20 के अनुसार सहमति प्राप्त कर उसे मुलाहिजा हेतु भेजा गया, जहां मेडिकल ऑफिसर डॉ. अनुभा ज्योत्सना (अ.सा.-06) द्वारा प्रदर्श पी-17 के अनुसार अभियोक्त्री का मुलाहिजा कर निम्नलिखित चोटें कारित होना बताया गया-

(i). लेबिया मेजोरा में हल्की सूजन, पेल्विक परीक्षण के समय दर्द होना।

(ii). हाइमन फटा हुआ।

(iii). पैल्विक में रक्तस्राव नहीं होना, किंतु श्वेत स्राव मौजूद होना

(iv). कोई चोट नहीं होना ।

दो योनि स्मीयर स्लाइड एवं प्यूबिक हेयर का नमूना तथा एक गुलाबी रंग की सलवार जिसे नीले पेन से दागदार भाग को घेराकर यौन संभोग की पुष्टि हेतु रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया है।

(4) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुंद के समक्ष अभियोक्त्री का कथन प्र.पी-21 धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार लेखबद्ध किया गया, जिसके आधार पर पृथक से धारा 376/34 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जोड़ा गया । कार्यपालक मजिस्ट्रेट /नायब तहसीलदार द्वारा गवाहों के समक्ष पहचान परेड आयोजित किया गया जिसमें अभियोक्त्री ने प्र.पी-22 के अनुसार अपीलकर्ता देवनाथ साहू, सोनल पाल और वसीम भाठी की पहचान किया । अभियोक्त्री का दाखिल खारिज रजिस्टर प्र.पी-24 के अनुसार जप्त किया गया । अपीलार्थी पार्वती पोयम को दिनांक 29/04/2019 को प्र.पी-30 के अनुसार गिरफ्तार कर इसकी सूचना प्रदर्श पी-34 के अनुसार उसके परिजनों को प्रदान किया गया । अपीलार्थी वसीम भाठी एवं जीवनलाल टंडन को दिनांक 01/05/2019 को क्रमशः प्रदर्श पी-35 एवं प्रदर्श पी-36 के अनुसार गिरफ्तार किया गया। दाखिल खारिज रजिस्टर की प्रति जिसमें अभियोक्त्री की जन्मतिथि दिनांक 12/01/2004 अंकित है,को आर्टिकल ए-1 से ए-3 के अनुसार जप्त किया गया। अपीलार्थी देवनाथ साहू की चड्डी सहित अभियोक्त्री के योनि स्लाइड, प्यूबिक हेयर सलवार एवं अंडरवियर को रासायनिक जांच के लिए एफएसएल हेतु भेजा जाकर परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-56 संलग्न किया गया, जिसके अनुसार अपीलकर्ता देवनाथ साहू से जप्त अंडरवियर में वीर्य के धब्बे एवं मानव शुक्राणु पाए गए है ।

(5) विवेचना उपरांत विधिवत सुनवाई हेतु अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किया गया, जिसमें उनके द्वारा आरोप अस्वीकार करते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया।

(7) अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपने पक्ष समर्थन में 15 साक्षियों का कथन कराया गया । वहीं धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आरोपीगण के कथन भी दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने उनके विरूद्ध पेश किए गए दस्तावेजों को इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया । अभिलेख में उपलब्ध साक्षियों के कथनों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराया जाकर निर्णय की कंडिका 2 के अनुसार उल्लेखित दंड से दंडित किया गया है , जिससे क्षुब्ध व व्यथित होकर यह प्रश्नाधीन अपील पेश किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) दांडिक अपील क्रमांक 359/2021 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रगल्भ शर्मा ने तर्क किया है कि प्रश्नाधीन निर्णय घोषित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है । धारा 161 और 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोक्त्री के बयान एवं न्यायालयीन कथन के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री एक सहमत पक्षकार थी। आगे तर्क के दौरान यह भी बताया गया है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा आयोजित पहचान परेड के दौरान पुलिस द्वारा पर्याप्त और भौतिक अनियमितताएं किया गया हैं जो संदिग्ध है, उक्त दोषपूर्ण पहचान परेड के आधार पर दोषसिद्धि को स्थिर नहीं रखा जा सकता है। अभियोक्त्री के कथन की कंडिका 62 से ही ज्ञात होता है कि उसने आरोपी वसीम और सोनल को पुलिस स्टेशन में ही देखा था वहीं अपीलकर्ता की गिरफ्तारी से पहले कोई पहचान परेड नहीं करायी गयी है । उन्होंने यह भी कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में भी विफल रहा है कि अभियोक्त्री ने अपने पुलिस बयान (प्रदर्श डी-01) एवं पूरक बयान (प्रदर्श डी-02) में न तो अपीलकर्ता का नाम लिया और न ही उसका विवरण बताया है । इसी प्रकार अभियोक्त्री का मेडिकल रिपोर्ट भी यौन संबंध होने की घटना को

स्पष्टतः प्रमाणित नहीं करता है, मात्र गुप्तांग पर सूजन से बलात्कार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उपरोक्तानुसार प्रश्नाधीन निर्णय को अपास्त करते हुए अपीलकर्ता से संबंधित यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

(9) दांडिक अपील क्रमांक 590/2021 एवं 818/2021 के विद्वान अधिवक्ता श्री जे.के .सक्सेना ने तर्क में बताया है कि विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि अभियोजन द्वारा अभियोक्त्री की वास्तविक उम्र को प्रमाणित नहीं किया गया है। वहीं अभियोक्त्री के दाखिल खारिज रजिस्टर में अभियोक्त्री की जन्म तिथि इंद्राज करने वाले व्यक्ति का कथन न्यायालय के समक्ष दर्ज नहीं कराया गया है। आगे अपने तर्क में बताया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है कि अभियोक्त्री ने अपने बयान में घटनास्थल पर अंधेरा एवं कुछ समय पश्चात बेहोश हो जाना बतायी है, जिसके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता के द्वारा ही अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं के विरूद्ध विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष विकृत एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए।

(10) दांडिक अपील क्रमांक 697/2021 के विद्वान अधिवक्ता श्री भरत राजपूत ने अपने तर्क में बताया है कि विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रही है कि अभियोक्त्री के कपड़ों में कोई वीर्य नहीं पाया गया था। वहीं अभियोक्त्री के कथन एवं पुलिस बयान में काफी विरोधाभासपूर्ण तथ्य आए है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता । उन्होंने यह भी कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय यह देखने में भी विफल रहा है कि अभियोजन अपना पक्ष संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है, जिसके कारण प्रश्नाधीन निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है । उपरोक्तानुसार इस अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए प्रश्नाधीन निर्णय निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान काउंसिल ने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध करते हुए तर्क किया है कि घटना के समय अभियोक्त्री 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग थी, जो स्कूल दाखिल-खारिज रजिस्टर (आर्टिकल ए-1) से प्रमाणित होता है जिसमें अभियोक्त्री की जन्म तिथि दिनांक 12/01/2004 दर्ज है। अभियोक्त्री की आयु निर्धारित करने के लिए दाखिल-खारिज रजिस्टर स्वीकार्य साक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को सही तरीके से दोषी ठहराया जाकर उचित दंड से दंडित किया गया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया गया।

(13) अभियोक्त्री की आयु पर विचार करने के लिए अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । अभियोजन द्वारा अभियोक्त्री के स्कूल दाखिल-खारिज रजिस्टर (आर्टिकल ए-1) पेश किया गया है, जिसे शासकीय प्राथमिक शाला, भाटापारा, तुमगांव जिला-महासमुंद के प्रधान पाठिका करूणा ठाकुर (अ.सा.-10) के द्वारा प्रमाणित कराया गया है । प्रधान पाठिका करूणा ठाकुर (अ.सा.-10) ने अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 1 में बताया है कि वह वर्ष 2005 से शासकीय प्राथमिक शाला, भाटापारा, तुमगांव में प्रभारी प्रधान पाठक के रूप में पदस्थ हैं। दिनांक 06/05/2019 को, उन्हें थाना तुमगांव के अपराध क्रमांक 86/2019 के संबंध में अभियोक्त्री की जन्मतिथि से संबंधित दाखिल-खारिज रजिस्टर पेश करने हेतु प्रदर्श पी-23 का नोटिस दिया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने अपने कथन की कंडिका 2 में बताया है कि उक्त नोटिस के परिपालन में उसके द्वारा दाखिल खारिज रजिस्टर (आर्टिकल ए-1) एवं जन्मतिथि शपथपत्र रजिस्टर (आर्टिकल ए-2) पुलिस के समक्ष पेश करने पर उसे जप्त किया गया

था । उपरांत उसके द्वारा उक्त पंजी के संबंधित पृष्ठ की प्रमाणित प्रति एवं रसीद (प्रदर्श पी-24 एवं प्रदर्श पी-25) दिया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने अपने कथन की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-1 एवं आर्टिकल ए-2 की प्रविष्टियां उसकी हस्तलिपि में नहीं हैं, क्योंकि वह 2004 में उस विद्यालय में पदस्थ नहीं थी। आर्टिकल ए-1 एवं आर्टिकल ए-2 की प्रविष्टियां तत्कालीन पदस्थ शिक्षिका लक्ष्मी साहू एवं शिक्षक बसंत शर्मा की हस्तलिपि में हैं। अपने कथन की कंडिका 4 में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-1 एवं ए-2 में यह उल्लेख नहीं है कि प्रवेश के लिए कौन आया था तथा आर्टिकल ए-1 एवं ए-2 में यह उल्लेख नहीं है कि जन्मतिथि किसने बताई एवं किस दस्तावेज के आधार पर उसके द्वारा जन्म तिथि दर्ज किया गया है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(14) अभियोक्त्री ने धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अपने कथन प्रदर्श पी-21 में बताया है कि घटना 6 दिन पहले की है। रात्रि लगभग 9 बजे वह दुकान से अंडा खरीदने के लिए निकली थी। इसी दौरान रास्ते में उसके गांव बंगलापारा के दो लड़के , जिनमें से एक साहू का लड़का था, ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया उपरांत उसने फोन पर एक और व्यक्ति को बुलाते हुए उसे आने के लिए कहा। फिर, उन दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया। कुछ देर बाद, दो और लड़के समोसा लेकर मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने उसे समोसे खाने के लिए धमकाया और जब उसने समोसे खाया, तो उसे चक्कर आने लगा। फिर, बाद में दोनों लड़के बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किए । अपने बयान के कंडिका 2 में, उसने कहा है कि उसके साथ बलात्कार करने वाले तीन लड़के उसे घटनास्थल पर छोड़कर चले गए। उनमें से एक लड़का, जो थोड़ा लंगड़ाकर चल रहा था, उसे रात करीब एक बजे अपनी मोटरसाइकल से तुमगांव में उसकी सहेली मनीषा के घर ले गया। तब उसने मनीषा और उसके माता-पिता को बलात्कार के बारे में बताया, किंतु मनीषा के माता-पिता ने उन्हें डांटा और मनीषा ने भी उसे जानने से इंकार कर दिया।

(15) अभियोक्त्री ने अपने कथन की कंडिका 3 में आगे बताया है कि जिस लड़के ने उसे मनीषा के घर छोड़ा था, उसने उसे धमकाया कि अगर वह घर गई तो वह उसे और उसके परिवार को मार देगा उपरांत वह उसे अपने घर ले गया, जहाँ उसकी माँ ने उससे झूठ बोलने और यह कहने के लिए कहा कि वह उनका रिश्तेदार है, लेकिन उसे याद नहीं है कि उसने क्या कहा। इस दौरान भी लड़के ने अपने घर पर फिर से उसके साथ बलात्कार किया। वह बस्तर में अपनी बहन के घर जाना चाहती थी, इसलिए उसने लड़के से कहा कि वह चली जाएगी, तब उसने सुबह 5 बजे उसे महासमुंद बस स्टैंड पर छोड़ा , उपरांत वह बस से रायपुर गई, जहाँ बस स्टैंड में उसकी मुलाकात एक महिला से हुई जो बस्तर की ही थी। उसने उसे बताया कि वह अपनी बहन के घर जा रही है और उसने उसका टिकट खरीदकर उसे उसे दंतेवाड़ा ले गई। अगली सुबह, नाश्ते के बाद, जिस महिला ने उसकी मदद की थी, उसने शराब पीना शुरू कर दिया और सो गई। चूंकि वह रास्ता भूल गई थी, इसलिए वह रोने लगी, तब फिर, एक अन्य महिला ने उसे ढूँढ़ा और दंतेवाड़ा पुलिस स्टेशन ले गई। कंडिका 5 में उसने कहा है कि वर्तमान में, बंगलापारा के चार लड़के , जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया था, उसे धमकी दे रहे हैं कि यदि उसने उनके खिलाफ कुछ कहा तो वे उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा देंगे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(16) अभियोक्त्री का कथन विचारण न्यायालय के समक्ष (अ.सा.-08) के रूप में दर्ज किया गया है, जिसने अपने साक्ष्य के कंडिका 2 में कहा है कि घटना करीब तीन महीने पहले हुई थी। शाम करीब 6:30 बजे वह घर से अंडा खरीदने के लिए दुकान पर जा रही थी। तभी ये दो लड़के आए (गवाह ने कोर्ट में मौजूद देवनाथ और सोनल पाल की ओर इशारा किया) और मोटरसाइकिल पर उसे ओवरटेक किए फिर पीछे मुड़कर उसे पकड़ लिए । वे दोनों उसे बूटा के पास एक झाड़ी में ले गए और उसे अपने कपड़े उतारने को कहे। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और उसे अपने पास मौजूद कपड़े पहनने को कहे । वे उसे डॉ. शंकर के घर के पीछे ले गए। उन्होंने कोर्ट में

मौजूद दो अन्य व्यक्तियों को बुलाया। जो उनके लिए समोसे लाए थे । अपने कथन की कंडिका 4 में उसने कहा है कि मोटे व्यक्ति (गवाह ने आरोपी वसीम की ओर इशारा किया) ने चाकू निकाला और उसे समोसे खाने को कहा, जिसे खाने के बाद उसे चक्कर आने लगा। फिर चारों आरोपी एक-एक करके उसके साथ बलात्कार किए , जिससे उसके कपड़े गीले हो गए । इस दौरान चारों आरोपी आपस में चर्चा किए और उससे पूछे कि क्या वह गांव में किसी को जानती है तब उसने कहा कि वह मनीषा को जानती है, जो उसके पिता के दोस्त की बेटी है। फिर देवनाथ उसे मोटरसाइकिल पर मनीषा के घर ले गया, लेकिन मनीषा और उसके परिवार वाले उसे जानने से इंकार कर दिए, तब वह उसे अपने घर ले गया और उससे कहा कि वह साहू समाज की अनाथ है और उससे शादी करना चाहता है। उपरांत आरोपी देवनाथ के माता-पिता ने उससे पूछे कि क्या वह उससे शादी करना चाहती है, तब उसने उसे धमकी भरी नजरों से देखा तो वह राजी हो गई। अगली सुबह वह उसे महासमुंद बस स्टैंड ले गया और रायपुर जाने वाली बस में बैठा दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) कंडिका 7 में उसने कहा है कि जब वह रायपुर बस स्टैंड पर उतरी तो उसे आरोपी पार्वती मिली जिसने उससे पूछा कि वह कहां जा रही है। तब उसने उसे बताया कि वह अपनी बहन के घर आसना, बस्तर जा रही है। आरोपी पार्वती उसे दंतेवाड़ा ले गई और रात 2 बजे बाजार ले गई, जो बंद था। उसने उसे वहीं छोड़ दिया और अगली सुबह वह उसे अपनी बहन के घर ले गई। इसके बाद उसे अस्पताल में उसकी मां के पास छोड़ दिया और शराब पीने चली गई। अपने साक्ष्य के कंडिका 9 में उसने कहा है कि जब वह पार्वती को खोजने निकली तो वह नहीं मिली तब वह रोने लगी। एक सब्जी विक्रेता ने उसे देखा और पूछा कि वह क्यों रो रही है। उसने उसे बताया कि पार्वती ने उसे दो लाख में बेच दिया है और शराब पीकर सो रही है। विक्रेता उसे अपने घर ले गया और सोने दिया। बाद में वह उसे बचेली पुलिस स्टेशन ले गया। उसके पास अपने भाई का मोबाइल नंबर था, जिसे उसने पुलिस को दिया। पुलिस ने

उसके भाई को बुलाया उपरांत तुमगांव पुलिस वाले उसे वापस ले गए । पुलिस ने रिकवरी मेमो (प्रदर्श पी-19) बनाकर पार्वती पोयम से उसे हिरासत में लिया। उसने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 44 में बताया है कि दो आरोपियों में से एक जिसके पैर ठीक थे उसने उसका मुंह दबाया था। उन लोगों ने उसके हाथ दुपट्टे से बांध दिए थे। उसने स्वीकार किया है कि उसने मुंह बंद करने और हाथ बांधने की बात इस न्यायालय के पूर्व किसी को नहीं बताई थी। उसने स्वेच्छा से कहा कि उसने पुलिस को बताया था लेकिन उन्होंने पैसे ले लिए थे इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। उसने मजिस्ट्रेट न्यायालय में बयान में यह नहीं बताया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसे चक्कर आ रहे थे। उसने यह बात न्यायाधीश को बताई थी तब उन्होंने कहा था कि जितना बताना है, अभी बताओ बाकि बाद में बताना। कंडिका 45 में उसने कहा है कि उसने मजिस्ट्रेट न्यायालय को आरोपियों द्वारा चाकू से धमकी दिए जाने की बात बताई थी, यदि उक्त तथ्य नहीं लिखा गया है तो वह उसका कारण नहीं बता सकती। उसने इंकार किया है कि वह आज सच नहीं बोल रही है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(18) अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.-04) ने कहा है कि वह आरोपियों में से केवल आरोपी वसीम भाठी को पहचानता है, क्योंकि वह उसके गांव का है। उक्त गवाह ने कंडिका 23 में कहा है कि अभियोक्त्री उक्त आरोपी वसीम को पहले से नहीं जानती थी और उसने उसे कभी नहीं देखा था। अभियोक्त्री की मां (अ.सा.-07) ने कहा है कि उसने सभी चार आरोपियों को पहचाना था, क्योंकि वे तुमगांव के थे और उसने घटना के बाद आरोपी पार्वती को पहचाना था ।

(19) जांच अधिकारी रनसे मिरी (अ.सा.-13) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-44 में स्वीकार किया है कि आरोपी देवनाथ को संदेह के आधार पर तुमगांव थाने में बुलाया गया था, जहां अभियोक्त्री ने देवनाथ को लाए जाने के बाद उसकी पहचान किया था । अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-45 में स्वीकार किया है कि रिपोर्ट के समय पहचान की कार्यवाही नहीं किया गया था । अभियोक्त्री ने पुलिस कथन में

आरोपी देवनाथ उर्फ फुरू या किसी लंगड़े व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया है। उक्त साक्षी ने बताया है कि आरोपी देवनाथ को बोलचाल की भाषा में फुरू कहा जाता है, जिसकी पुष्टि विवेचना के दौरान हुई । कंडिका-49 में उसने इस बात से इंकार किया है कि मात्र संदेह के आधार पर आरोपी देवनाथ को जेल भेजकर कमी को पूरा करने के लिए पहचान की कार्यवाही विलम्ब से किया गया है । उक्त साक्षी ने कंडिका-62 में बताया है कि जब अभियोक्त्री को थाने में लाया गया था तब उसने आरोपी वसीम और सोनल को थाने में देखा था और उनकी ओर इशारा किया था । कंडिका 72 में कहा गया है कि आरोपीगण को अभियोक्त्री द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। कंडिका 73 में कहा गया है कि आरोपी वसीम और सोनल को अभियोक्त्री द्वारा यह बताए जाने के आधार पर गिरफ्तार किया गया था कि वे एक मोटे और पतले लड़के थे। कंडिका 76 में यह स्वीकार किया गया है कि उक्त गिरफ्तारी से पहले पहचान की कार्यवाही नहीं की गई थी। कंडिका 77 में यह स्वीकार किया गया है कि जब अभियोक्त्री ने आरोपीगण को देखा और उनकी ओर इशारा किया, उस समय सभी चार आरोपी देवनाथ, सोनल, वसीम एवं जीवनलाल पुलिस स्टेशन में मौजूद थे।

(20) भारतीय समाज में यौन उत्पीड़न की अभियोक्त्री की गवाही पर पुष्टि के अभाव में कार्यवाही करने से इंकार करना, चोट पर नमक छिड़कने जैसा है। भारत के परम्परागत गैर-अनुमति वाले समाज में एक लड़की या महिला यह स्वीकार करने में भी बहुत अनिच्छुक होगी कि उसके साथ कोई ऐसी घटना घटी है, जो उसकी पवित्रता पर सवाल उठाती हो। वह समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाने के खतरे से अवगत होगी और जब इन कारकों के सामने अपराध प्रकाश में आता है, तो अंतर्निहित आश्वासन होता है कि आरोप मनगढ़ंत नहीं बल्कि वास्तविक है। जिस तरह एक गवाह जिसने चोट खाई है, जिसे दिखाया नहीं गया है या माना जाता है कि उसने खुद को चोट पहुंचाई है, वह इस अर्थ में सबसे अच्छी गवाह है । ऐसे में असली अपराधी को दोषमुक्त होने की सबसे कम संभावना है, यौन अपराध की अभियोक्त्री का साक्ष्य पुष्टि के अभाव के बावजूद

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बहुत अधिक वजनदार होता है। बलात्कार की शिकार एक महिला या लड़की सह अपराधी नहीं है। बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि के लिए पुष्टि अनिवार्य नहीं है। न्यायदृष्टांत रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य (AIR 1952 SC 54) में जस्टिस विवियन बोस की टिप्पणियां थीं-

> "नियम, जो मामलों के अनुसार कानून के नियम के रूप में कठोर हो गया है, यह नहीं है कि दोषसिद्धि से पहले पुष्टि आवश्यक है, बल्कि यह है कि पुष्टि की आवश्यकता, मामले के रूप में, सिवाय इसके कि जहां परिस्थितियां इसे समाप्त करना सुरक्षित बनाती हैं, मौजूद होनी चाहिए, जो न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर रहता है"।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(21) सामान्य रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध और विशेष रूप से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह एक विडंबना है कि हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हम उनके सम्मान के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी चिंता नहीं दिखाते हैं। यह यौन अपराधों के पीड़ितों की मानवीय गरिमा के उल्लंघन के प्रति समाज के उदासीन रवैये का दुखद प्रतिबिंब है। हमें याद रखना चाहिए कि बलात्कारी न केवल पीड़ित की निजता और व्यक्तिगत अखंडता का उल्लंघन करता है, बल्कि इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से गंभीर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नुकसान भी पहुंचाता है। बलात्कार केवल शारीरिक हमला नहीं है - यह अक्सर पीड़ित के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। एक हत्यारा अपने शिकार के भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है, जबकि एक बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को अपमानित करता है। इसलिए, बलात्कार के आरोप में आरोपीगण पर मुकदमा चलाते समय न्यायालय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हें ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाना चाहिए। न्यायालयों को किसी मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोक्त्री के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो घातक प्रकृति के नहीं हैं। यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य

विश्वास पैदा करता है, तो भौतिक विवरणों में उसके बयान की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से न्यायालय को उसकी गवाही पर अंतर्निहित निर्भरता रखना मुश्किल लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसकी गवाही को मामले में आवश्यक पुष्टि के साथ विश्वसनीय बना सके। अभियोक्त्री की गवाही को पूरे मामले की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए और विचारण न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग होना चाहिए और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों से निपटने के दौरान संवेदनशील होना चाहिए। न्यायदृष्टांत पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (1996 (2) SCC 384) में इस स्थिति को उजागर किया गया था।

(22) यौन अपराध की अभियोक्त्री को सह-अपराधी के बराबर नहीं रखा जा सकता। वह वास्तव में अपराध की शिकार है। साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी पुष्टि भौतिक विवरणों में न हो जाए। वह निस्संदेह धारा 118 के तहत एक सक्षम गवाह है और उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के मामलों में घायल व्यक्ति को दिया जाता है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सावधानी और सतर्कता रखी जानी चाहिए जितनी घायल शिकायतकर्ता या गवाह के मामले में रखी जाती है, उससे अधिक नहीं। जरूरी यह है कि न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि वह उस व्यक्ति के साक्ष्य पर विचार कर रहा है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखता है। यदि न्यायालय इसे ध्यान में रखता है और संतुष्टि महसूस करता है कि वह अभियोक्त्री के साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') में धारा 114 के दृष्टांत (बी) के समान कोई कानून या अभ्यास शामिल नहीं है जिसके लिए उसे पुष्टि की तलाश करने की आवश्यकता होती है। यदि किसी कारण से न्यायालय अभियोक्त्री की गवाही पर अंतर्निहित भरोसा करने में हिचकिचाता है तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसके साक्ष्य को आवश्यक पुष्टि कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोक्त्री की गवाही को पुष्ट करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। लेकिन यदि अभियोक्त्री वयस्क है और पूरी तरह समझदार है तो न्यायालय उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का आधार बनाने का हकदार नहीं है, जब तक कि वह स्वयं कमजोर और भरोसेमंद न हो। यदि मामले के रिकॉर्ड पर दिखाई देने वाली परिस्थितियों की समग्रता से पता चलता है कि अभियोक्त्री के पास आरोपित व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई मजबूत मकसद नहीं है, तो न्यायालय को आमतौर पर उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

(23) <u>न्यायदृष्टांत राय संदीप उर्फ दीनू बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य, 2012 (8) एससीसी 21</u> के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिमत दिया गया है कि:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> “हमारे विचार में, 'उत्कृष्ट गवाह' बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए, इसलिए उसका बयान अप्रतिरोध्य होना चाहिए। ऐसे गवाह के बयान पर विचार करने वाले न्यायालय को बिना किसी हिचकिचाहट के इसे उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे गवाह की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, गवाह की स्थिति महत्वहीन होगी और जो प्रासंगिक होगा वह ऐसे गवाह द्वारा दिए गए बयान की सत्यता होगी। जो अधिक प्रासंगिक होगा वह बयान की शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी उस समय जब गवाह प्रारंभिक बयान देता है और फिर जब न्यायालय के समक्ष बयान देता है, में एकरूपता होना चाहिए ,जो स्वाभाविक रूप से आरोपी के रूप में अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे गवाह के बयान में कोई झूठ नहीं होना चाहिए। गवाह किसी भी लंबाई और चाहे कितनी भी कठिन जिरह का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों और साथ ही इसके अनुक्रम के बारे में किसी भी

संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस तरह के बयान का अन्य सभी सहायक सामग्रियों जैसे बरामदगी, इस्तेमाल किए गए हथियार, अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय से सह-संबंध होना चाहिए। उक्त बयान को हर दूसरे गवाह के बयान से लगातार मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू किए जाने वाले परीक्षण के समान होना चाहिए, जहां परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी ऐसी कड़ी नहीं होनी चाहिए जो आरोपी को उसके खिलाफ कथित अपराध का दोषी ठहराए। केवल तभी जब ऐसे गवाह का बयान उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों को भी पूरा करता है, तो यह माना जा सकता है कि ऐसे गवाह को 'उत्कृष्ट गवाह' कहा जा सकता है, जिसका बयान न्यायालय द्वारा बिना किसी पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो, अपराध के मूल स्पेक्ट्रम पर उक्त गवाह का बयान बरकरार रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी संबंधित सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएं , उक्त बयान से मेल खानी चाहिए, ताकि अपराध पर विचार कर रही अदालत, कथित आरोप के लिए अपराधी को दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्रियों को छांटने हेतु मूल बयान पर भरोसा कर सके ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(24) <u>न्यायदृष्टांत नवाबुद्दीन बनाम उत्तराखंड राज्य (आपराधिक अपील संख्या 144/2022</u>) निर्णय दिनांक 08/02/2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि:-

"10. उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा संविधान के आर्टिकल 15 और 39 के तहत बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के अपराधों से बचाने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए, POCSO अधिनियम, 2012 लागू किया गया है। बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न या यौन

उत्पीड़न के किसी भी कृत्य को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए तथा बच्चों पर यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के ऐसे सभी अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए तथा POCSO अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के कृत्य के अनुरूप उचित दंड देकर, समाज को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि यदि कोई भी व्यक्ति POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न या अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों का उपयोग करने का अपराध करता है, तो उसे उचित रूप से दंडित किया जाएगा तथा उसके प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बच्चों पर यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न के मामले यौन वासना के विकृत उदाहरण हैं, जहां इस तरह के घृणित यौन सुख की तलाश में मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है। बच्चे हमारे देश के अनमोल मानव संसाधन हैं; वे देश का भविष्य हैं। कल की उम्मीद उन पर टिकी है। लेकिन दुर्भाग्य से, हमारे देश में, बालिकाएँ बहुत ही असुरक्षित स्थिति में हैं। उनके शोषण के विभिन्न तरीके हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न एवं यौन दुर्व्यवहार शामिल हैं। हमारे विचार में, इस तरह से बच्चों का शोषण मानवता और समाज के विरूद्ध अपराध है। इसलिए, बच्चे और विशेष रूप से बालिकाएँ पूर्ण सुरक्षा की हकदार हैं तथा उन्हें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने न्यायदृष्टांत राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश, (2002) 5 SCC 745 के मामले में देखा और माना है , बच्चों को विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है और ऐसे मामलों में, इन बच्चों को उचित कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायालयों के कंधों पर जिम्मेदारी अधिक भारी है। न्यायदृष्टांत निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ, (2019) 2 SCC 703 के मामले में, इस न्यायालय ने देखा कि यौन शोषण का शिकार होने वाले नाबालिग को वयस्क पीड़ित से भी अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि

वयस्क पीड़ित वयस्क होने के बावजूद समाज द्वारा दिए जाने वाले सामाजिक बहिष्कार और मानसिक उत्पीड़न को झेलने में सक्षम हो सकते है, लेकिन नाबालिग पीड़ित के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। नाबालिग पीड़ितों के खिलाफ होने वाले अधिकांश अपराधों की रिपोर्ट भी नहीं की जाती है, क्योंकि अक्सर अपराध करने वाला पीड़ित के परिवार का सदस्य या करीबी दोस्त होता है। इसलिए, बच्चे को अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए, POCSO अधिनियम, 2012 के तहत अपराध करने वाले किसी भी आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती है और खासकर तब जब अदालत के समक्ष पर्याप्त सबूतों के साथ यह साबित हो जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(25) भारतीय दंड संहिता की धारा 34 इस प्रकार है:-

"34. सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य।-जब कोई आपराधिक कार्य सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा, मानो वह कार्य उसके द्वारा अकेले किया गया हो।"

(26) भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा एक ही इरादे से किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे कि उक्त कृत्य अकेले उसके द्वारा ही किया गया है। इसलिए, जहां किसी अपराध में आरोपी की भागीदारी साबित हो जाती है और सामान्य इरादा भी स्थापित हो जाता है, वहां भारतीय दंड संहिता की धारा 34 लागू होती है। उक्त धारा लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पहले से कोई साजिश हो या पहले से सोची-समझी सोच हो। सामान्य इरादा घटना के दौरान यानी अपराध के घटित होने के दौरान भी बन सकता है।

(27) धारा 34 भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य एक पक्ष के अलग-अलग सदस्यों के कार्यों को अलग करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है, जो एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। आपराधिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों के पास एक साथ एक विशेष परिणाम लाने के लिए सचेत मन होना चाहिए। एक सामान्य इरादा अपने अस्तित्व के बारे में तथ्य का सवाल है और इसके लिए "उक्त इरादे को आगे बढ़ाने में" एक कार्य की भी आवश्यकता होती है। किसी को ठोस सबूत की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदालत को संचयी मूल्यांकन के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। यह केवल सबूत का नियम है और इस प्रकार कोई ठोस अपराध नहीं बनता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(28) शब्द "आगे बढ़ाना" भविष्य में प्रभाव पैदा करने में सहायता या सहायता के अस्तित्व को इंगित करता है। इस प्रकार, इसे उन्नति या पदोन्नति के रूप में समझा जाना चाहिए। यहां ऐसे मामले हो सकते हैं जहां सभी कार्य, सामान्य रूप से, धारा 34 भारतीय दंड संहिता के दायरे में नहीं आएंगे, लेकिन केवल वे ही कार्य होंगे जो पर्याप्त कनेक्टिविटी वाले सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हैं। जब हम इरादे की बात करते हैं तो यह प्रस्तावित अपराध के लिए आवश्यक किसी भी मौजूदा तथ्य के ज्ञान की पर्याप्तता के साथ आपराधिकता का होना चाहिए। इस तरह के इरादे का मतलब पूर्वोक्त अपेक्षित ज्ञान के साथ अपराध के कमीशन में सहायता, प्रोत्साहन, बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है।

(29) सामान्य इरादे का अस्तित्व स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह साबित करे । हालाँकि, न्यायालय को धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत किसी व्यक्ति को फंसाने से पहले सबूतों का विश्लेषण और आकलन करना होता है। केवल एक सामान्य इरादे के आधार पर बिना आगे की कार्रवाई के धारा 34 भारतीय दंड संहिता नहीं लगाई जा सकती । इसके अतिरिक्त यह तथ्य कि धारा 34 भारतीय दंड संहिता के साथ अपराध के लिए आरोपित सभी आरोपी अपराध के समय मौजूद

थे, खुद को या दूसरों को मनाए बिना, एक प्रासंगिक परिस्थिति हो सकती है, बशर्ते कि पहले से एक सामान्य इरादा विधिवत साबित हो। एक बार फिर, यह एक ऐसा पहलू है जिस पर न्यायालय को अपने सामने रखे गए सबूतों पर गौर करने की आवश्यकता है। बचाव पक्ष की ओर से ऐसे मामले में विशेष रूप से ऐसी दलील उठाने की आवश्यकता नहीं हो सकती है जहां न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं।

(30) विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोक्त्री (अ.सा.-08) द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, घटना करीब तीन महीने पहले की है। शाम करीब 6:30 बजे वह घर से अंडा खरीदने के लिए दुकान पर जा रही थी। तभी ये दो लड़के आए (गवाह ने कोर्ट में मौजूद देवनाथ और सोनल पाल की ओर इशारा किया) और मोटरसाइकिल से ओवरटेक कर उसे पकड़ लिए उपरांत उसे बूटा के पास एक झाड़ी में ले गए और उससे अपने कपड़े उतारने को कहे। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और उसे अपने पास मौजूद कपड़े पहनने को कहे । वे उसे डॉ. शंकर के घर के पीछे ले गए। उन्होंने कोर्ट में मौजूद दो अन्य व्यक्तियों को बुलाया, जो उनके लिए समोसे लाए। अपने साक्ष्य के कंडिका 4 में उसने कहा है कि मोटे व्यक्ति (गवाह ने आरोपी वसीम की ओर इशारा किया) ने चाकू निकाला और उसे समोसे खाने को कहा, जिसे खाने के बाद उसे चक्कर आने लगा। फिर चारों आरोपियों ने एक-एक करके उसके साथ बलात्कार किया। तब उसके कपड़े गीले हो गए, उपरांत उसे पहनने के लिए अपने भतीजे के कपड़े दे दिए। इस दौरान चारों आरोपियों ने आपस में चर्चा की और उससे पूछा कि क्या वह गांव में किसी को जानती है। तब उसने बताया कि वह अपने पिता के दोस्त की बेटी मनीषा को जानती है। फिर देवनाथ उसे मोटरसाइकिल पर मनीषा के घर ले गया, लेकिन मनीषा और उसके परिवार ने उसे जानने से इंकार कर दिए। जिसके बाद वह उसे अपने घर ले गया और उससे कहा कि वह साहू समाज का एक अनाथ सदस्य है और उससे शादी करना चाहता है। आरोपी देवनाथ के माता-पिता ने उससे पूछा कि क्या वह उससे शादी करना चाहती है और जब उसने उसे धमकी भरी नजर से देखा, तो वह सहमत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हो गई। अगली सुबह वह उसे महासमुंद बस स्टैंड ले गया और उसे रायपुर जाने वाली बस में बैठा दिया। उसने आगे कहा है कि जब वह रायपुर बस स्टैंड में उतरी, तो उसकी मुलाकात आरोपी पार्वती से हुई, जिसने उससे पूछा कि वह कहां जा रही है। तब आरोपी ने उसे बताया कि वह बस्तर के आसना में अपनी बहन के घर जा रही है। आरोपी पार्वती उसे दंतेवाड़ा ले गई और रात 2 बजे, वह उसे बाजार ले गई, जो बंद था। उसने उसे वहीं छोड़ दिया और अगली सुबह, वह उसे अपनी बहन के घर ले गई। उपरांत उसे अस्पताल में उसकी मां के पास छोड़कर शराब पीने के लिए चली गई। अपने साक्ष्य के कंडिका 9 में उसने कहा है कि जब वह पार्वती को खोजने निकली तो वह नहीं मिली उपरांत वह रोने लगी। इसके बाद एक सब्जी विक्रेता ने उसे देखा और रोने का कारण पूछा। उसने बताया कि पार्वती ने उसे दो लाख में बेच दिया है और शराब पीकर सो रही है। विक्रेता उसे अपने घर ले गया और सोने दिया। बाद में वह उसे बचेली थाना ले गया । उसके पास अपने भाई का मोबाइल फोन का नंबर था, जिसे उसने पुलिस को दिया। पुलिस ने उसके भाई को फोन किया और फिर तुमगांव पुलिस उसे वापस ले गई । पुलिस ने रिकवरी मेमो (प्रदर्श पी-19) बनाया और पार्वती पोयम से उसे हिरासत में ले लिया।

(31) अभियोजन द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नायब तहसीलदार से पहचान परेड आयोजित कराया गया, तब अपीलकर्ता देवनाथ साहू, सोनल पाल और वसीम भाठी की पहचान प्र.पी-22 के अनुसार किया गया।

(32) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत मलखानसिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में (2003) 5 एससीसी 746 में अभिमत दिया है कि-

> "7. यह कहना गलत है कि मूल साक्ष्य न्यायालय में पहचान का साक्ष्य है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के स्पष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा कानून में स्थिति अच्छी तरह से तय की गई है। आरोपी व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने वाले तथ्य साक्ष्य

अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रासंगिक हैं। एक सामान्य नियम के रूप में, एक गवाह का मूल साक्ष्य न्यायालय में दिया गया बयान है। पहली बार मुकदमे में आरोपी व्यक्ति की पहचान मात्र का साक्ष्य अपने स्वभाव से ही कमजोर चरित्र का होता है। इसलिए, पूर्व परीक्षण पहचान का उद्देश्य उस साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण करना और उसे मजबूत करना है। तदनुसार, यह विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है कि आम तौर पर न्यायालय में गवाहों की शपथबद्ध गवाही की पुष्टि के लिए आरोपीगण की पहचान के बारे में देखें जो उनके लिए अजनबी हैं, हालाँकि, विवेक का यह नियम अपवादों के अधीन है, जब, उदाहरण के लिए, अदालत किसी विशेष गवाह से प्रभावित होती है जिसकी गवाही पर वह बिना किसी पुष्टि के, सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकती है। पहचान परेड जांच के चरण से संबंधित है, और दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो जांच एजेंसी को पहचान परेड आयोजित करने के लिए बाध्य करता है, या आरोपी को दावा करने का अधिकार देता है। वे ठोस सबूत नहीं बनाते हैं और ये परेड अनिवार्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 द्वारा शासित होती हैं। पहचान परेड आयोजित न करने से अदालत में पहचान के सबूत को अस्वीकार्य नहीं माना जाएगा। ऐसी पहचान को दिया जाने वाला महत्व तथ्यों की अदालतों के लिए एक मामला होना चाहिए। उचित मामलों में यह पुष्टि पर जोर दिए बिना भी पहचान के सबूत को स्वीकार कर सकता है। (जोर दिया गया)।"

(33) अभियोक्त्री (अ.सा.-8) के साक्ष्य, जिसने स्पष्ट रूप से प्रत्येक अपीलकर्ता की भूमिका बताई है, अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.-04), अभियोक्त्री की मां (अ.सा.-07) एवं प्रधानाध्यापिका करुणा ठाकुर (अ.सा.-09) के साक्ष्य, आगे एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-56) पर विचार करते हुए जिसमें आर्टिकल 'डी' यानी अपीलकर्ता देवनाथ साहू से जप्त अंडरवियर में वीर्य के धब्बे और मानव शुक्राणु पाए गए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

थे, डॉ. अनुभा ज्योत्सना (अ.सा.-06) के साक्ष्य और कार्यकारी मजिस्ट्रेट/नायब तहसीलदार द्वारा आयोजित पहचान परेड पर भी विचार करते हुए, जिसमें अभियोक्त्री ने प्रदर्श पी-22 के जरिए अपीलकर्ता देवनाथ साहू, सोनल पाल और वसीम भाठी की पहचान की है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और उपरोक्त निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित कानून के अनुसार, हम इस राय पर पहुंचे हैं कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं- वसीम भाठी, देवनाथ उर्फ फुरु साहू, सोनल पाल और जीवनलाल टंडन को भारतीय दंड संहिता की धारा 363/34, 366-ए/34, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग-II/34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। विशेष न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई अवैधता और अनियमितता नहीं पाया गया है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(34) परिणामस्वरूप, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं - वसीम भाठी, देवनाथ उर्फ फुरू साहू, सोनल पाल और जीवनलाल टंडन के खिलाफ सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला साबित करने में सफल रहा है। विशेष न्यायाधीश द्वारा उन्हें दी गई सजा और अर्थदंड को बरकरार रखा जाता है।

(35) जहां तक अपीलकर्ता-पार्वती पोयम का सवाल है, उसे केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 363/34 और 366/34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। वह 29/04/2019 से जेल में है यद्यपि उसे इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24/11/2022 के अनुसार जमानत दी गई थी, इस प्रकार उसने 3 वर्ष 6 महीने और 26 दिन की जेल की सजा पूरी कर ली है। अभियोक्त्री (अ.सा.-8) के साक्ष्य और उसके खिलाफ रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 363/34 और 366/34 के तहत उसकी सजा बरकरार रखी जाती है , हालांकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 366/34 के तहत

उसकी सजा को उसके द्वारा पहले से काटी गई सजा यानी 3 वर्ष 6 महीने और 26 दिन में बदल दिया जाता है।

(36) तदनुसार, अपीलकर्ता वसीम भाठी की ओर से दायर आपराधिक अपील क्रमांक 359/2021, अपीलकर्ता देवनाथ उर्फ फुरू साहू और सोनल पाल उर्फ उत्कर्ष की ओर से दायर आपराधिक अपील क्रमांक 590/2021, अपीलकर्ता जीवनलाल टंडन की ओर से दायर आपराधिक अपील क्रमांक 697/2021 को खारिज किया जाता है।

(37) हालाँकि, अपीलकर्ता पार्वती पोयम की ओर से दायर आपराधिक अपील क्रमांक 818/2021 को आंशिक रूप से उपर वर्णित कंडिका के अनुसार स्वीकार किया जाता है। चूंकि आरोपिया जमानत पर है। उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उसके जमानत बांड रद्द किए जाते हैं और जमानतदारों को मुक्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(38) यह बताया गया है कि अपीलकर्ता वसीम भाठी, देवनाथ उर्फ फुरू साहू, सोनल पाल और जीवनलाल टंडन जेल में हैं। उन्हें विचारण न्यायालय के आदेशानुसार सजा काटनी होगी।

(39) रजिस को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की प्रमाणित प्रति को अभिलेख सहित संबंधित विचारण न्यायालय को आवश्यक सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित करे ।

sd/-
(बिभु दत्त गुरू)
न्यायाधीश

sd/-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur